02.05.25	रेस्पों० सं० 2 द्वारा प्रा०पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी मे ली गई। रेस्पो० सं० 2 द्वारा अपने प्रा०पत्र में वर्णन किया गया है। आलोच्य इन्तकाल सं० 185 दिनांक 07.04.25 को पुनर्विलोकन कर निरस्त किया — लगातार

किया जा चुका है। अपील में वर्णित भूमि पुत. भगवानसिंह पुत्र बहादरसिंह के नाम दर्ज हो चुकी है जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी पेश की गई है। वकील अपीलांट को सूचित कर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांटगण द्वारा अपनी अपील में आलोच्य इन्तमाल सं. 185 को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया था जो उन्हें प्राप्त हो चुका है। अब इस अपील का कोई औचित्य नहीं होने के कारण पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाकर अपीलांटगण की अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किरण पाल)
RAS.
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना